

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

विज्ञापन सं०-04/2018

बिहार विधान सभा सचिवालय के निम्न वर्णित पदों की रिक्तियों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से **ऑनलाईन (Online)** आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

1. चालक - 7वाँ वे०आ० का वेतन स्तर-2 (₹19,900-63,200+ नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते)
2. पुस्तकालय परिचारी - 7वाँ वे०आ० का वेतन स्तर-1 (₹ 18,000-56,900 +नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते)
3. क्रमपत्र वितरक- 7वाँ वे०आ० का वेतन स्तर-1 (₹ 18,000-56,900 + नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते)
4. कार्यालय परिचारी- 7वाँ वे०आ० का वेतन स्तर-1 (₹ 18,000-56,900 +नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते)
5. कार्यालय परिचारी (दरबान)-7वाँ वे०आ० का वेतन स्तर-1 (₹ 18,000-56,900 +नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते)
6. कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी)- 7वाँ वे०आ० का वेतन स्तर-1 ₹₹18,000-56,900 + नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते)
7. कार्यालय परिचारी (माली)- 7वाँ वे०आ० का वेतन स्तर-1 (₹18,000-56,900 +नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते)
8. कार्यालय परिचारी (फर्राश)- 7वाँ वे०आ० का वेतन स्तर-1 (₹18,000-56,900 +नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते)

ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि - 23.10.2018 (11:00 बजे पूर्वाह्न से)

ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि - 22.11.2018 (05:00 बजे अपराह्न तक)

उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाले साक्षात्कार आदि कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधान सभा के वेबसाइट पर किया जायेगा ।

1. अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियों का विवरण :-

क्रम सं०	पद का नाम	रिक्तियों की औपबंधिक संख्या									पदों की कुल संख्या
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की महिला	क्षैतिज आरक्षण			
							स्वतंत्रता सेनानी	दिव्यांग	महिला		
1.	चालक	09	03	-	01	-	01	-	-	04	14
2.	पुस्तकालय परिचारी	03	01	-	01	01	01	-	-	01	07
3.	क्रम पत्र वितरक	05	01	-	02	01	01	-	-	02	10
4.	कार्यालय परिचारी	52	19	02	13	-	04	02	दृष्टि दिव्यांग(LV)-1 मूक बधिर(MD)-1 चलन(OH)-1 मनोविकार(PD)-1	31	90
5.	कार्यालय परिचारी (दरबान)	05	02	-	02	-	-	-	-	04	09

6.	कार्यालय परिचारी (सफाई कर्मी)	01	-	-	04	04	01	-	-	01	10
7.	कार्यालय परिचारी (माली)	10	03	-	04	02	01	-	-	05	20
8.	कार्यालय परिचारी (फर्राश)	02	02	-	02	-	-	-	-	01	06

2. **शैक्षणिक योग्यता:-** ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को पदवार निर्धारित निम्न वर्णित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिए ।

(i) **चालक :-** अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से **मैट्रिक/समकक्ष उत्तीर्ण होने के साथ वाहन चालन (एल.एम.वी./एच.एम.वी.) का वैध लाइसेंस** होना चाहिए ।

(ii) पुस्तकालय परिचारी (iii) क्रमपत्र वितरक (iv) कार्यालय परिचारी (v) कार्यालय परिचारी (दरबान) (vi) कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी) (vii) कार्यालय परिचारी (माली) एवं (viii) कार्यालय परिचारी (फर्राश)- अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से **मैट्रिक/समकक्ष उत्तीर्ण** होना चाहिए ।

वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदक एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकते हैं । इसके लिए उन्हें पदवार अलग-अलग ऑनलाईन आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है । ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में रजिस्ट्रेशन-फॉर्म भरते समय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दर्शाये गए संबंधित पदों के बगल में दिए गए बॉक्स में सही (✓) का चिन्ह लगा देने से वे उस पद के लिए भी अभ्यर्थी समझे जाएँगे । एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर भी एक ही शुल्क देय होगा । अलग-अलग पद के लिए अतिरिक्त शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं है ।

3. **आरक्षण:-**

(i) आरक्षण की सुविधा उन्हीं अभ्यर्थियों के मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात जो बिहार के मूलवासी है । बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा । ऑनलाईन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा । ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा ।

(ii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे । किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा ।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं०-673, दिनांक-08.03.2011 के आलोक में ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए :-

(a) जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)

(b) स्थायी निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र

उसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए :-

- (a) जाति प्रमाण पत्र,
- (b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- (c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र)

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा ।

- (iv) ऑनलाईन आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार (Medical Board) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय सभा सचिवालय द्वारा उसकी मांग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सके ।
- (v) **भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती के लिए आरक्षण** - सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-2526, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती / नतिनी / पोता / पोती के लिए 2% क्षैतिज आरक्षण देय है । ऐसे आरक्षण का दावा करनेवाले अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती होने का) प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार / बदलाव नहीं किया जा सकता है ।
अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित तिथि होगी । उक्त तिथि के पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा।

4. उम्र सीमा:-

- (i) न्यूनतम आयु - दिनांक 01.08.2018 को न्यूनतम उम्र 18 (अठारह) वर्ष ।
- (ii) अधिकतम आयु :- अनारक्षित (पुरुष)-37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)-40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)-42 वर्ष।
- (iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों, को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा ।
- (iv) साथ ही कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में दिव्यांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों का छूट अनुमान्य है ।

(v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो ।

5. परीक्षा की पद्धति एवं मेधा सूची:-

(i) **चालक:-** इन रिक्त पदों पर सीधी भरती हेतु सर्वप्रथम **व्यवहारिक जाँच परीक्षा** ली जाएगी । व्यवहारिक जाँच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का **साक्षात्कार** लिया जायेगा जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा । साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी ।

व्यवहारिक जाँच परीक्षा :-

- (क) वाहन परिचालन की जाँच ।
- (ख) यातायात विनियमन तथा मोटर वाहन अधिनियम का ज्ञान, काब्रूरेटर प्लग आदि साफ करने की क्षमता ।
- (ग) कार इंजिन का ज्ञान, पेट्रॉल/डीजल या सी.एन.जी. का चालन तथा खराबियों को पता लगाने एवं वाहन परिचालन की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने की क्षमता ।
- (घ) चक्का बदलने तथा टायर में ठीक से हवा भरने की योग्यता ।
- (ङ) यांत्रिक तथा चालन कौशल की प्रायोगिक जाँच ।
- (च) साईकिल चलाने की क्षमता ।

(ii) पुस्तकालय परिचारी (iii) क्रमपत्र वितरक (iv) कार्यालय परिचारी (v) कार्यालय परिचारी (दरबान) (vi) कार्यालय परिचारी (सफाईकर्मी) (vii) कार्यालय परिचारी (माली) एवं (viii) कार्यालय परिचारी (फर्राश) के रिक्त पदों पर सीधी भरती हेतु अभ्यर्थियों का **साक्षात्कार** लिया जायेगा, जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा । साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी ।

उपर्युक्त पदों पर साक्षात्कार के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, सीधी भरती हेतु घोषित किया जायेगा । इस निमित्त, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक 01.10.2008 के आलोक में साक्षात्कार में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति / जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे ।

वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें किसी चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो । उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर सभा सचिवालय का निर्णय अन्तिम होगा ।

6. **परीक्षा शुल्क :-** प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, आरक्षित / अनारक्षित महिला एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ₹25/- (**पच्चीस रूपये**) तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ₹100/- (**एक सौ रूपये**) का शुल्क निर्धारित है । एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर भी एक ही शुल्क देय होगा । अलग-अलग पद के लिए अतिरिक्त शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं है ।

अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करते समय Net Banking / Credit / Debit Card के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

नोट:- वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है:-

(i)	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) तथा ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि	23.10.2018 को 11:00 बजे पूर्वा० से 22.11.2018 को 05:00 बजे अप० तक
(ii)	परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	22.11.2018
(iii)	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	22.11.2018

- (2) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभा सचिवालय जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार / परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र / अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (3) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. अंकित करेंगे।
- (4) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (5) अभ्यर्थी हाल का अपना एक फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (6) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से

कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या सभा सचिवालय द्वारा मांगे जाने पर उनके द्वारा जमा किया जा सके ।

- (7) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान / गलत भुगतान / असफल भुगतान, Unsuccessful Payment / Transaction Status Failure के लिए सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा ।
- (8) ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए नीचे बॉक्स में वर्णित 'Apply Online' पर क्लिक करें ।

APPLY ONLINE

महत्वपूर्ण निर्देश:-

- (1) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे । विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण-पत्र / कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे । सभा सचिवालय द्वारा किसी भी समय माँगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा ।
- (2) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Bar Code एवं Application Number अंकित है । हार्ड कॉपी पर Bar Code एवं Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा ।
- (3) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र नियुक्ति की तिथि के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु सभा सचिवालय स्वतंत्र रहेगा ।
- (4) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है ।
- (5) इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ सभा सचिवालय के वेबसाइट www.vidhansabha.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा ।
- (6) उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश सभा सचिवालय के वेबसाइट www.vidhansabha.bih.nic.in पर उपलब्ध है । इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, अंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा ।
- (7) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी । भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन / सुधार मान्य नहीं होगा । किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु सभा सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे ।
- (8) किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।